

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-50/2022 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2022/67

दायर दिनांक :-05.04.2022

निर्णय दिनांक :-21.04.2022

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री मगनीराम शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति शर्मा मैसर्स बी०एन० बेकरी एण्ड डेयरी, लावा सरदारगढ़ तह. आमेट जिला राजसमंद निवासी सनादय मौहल्ला, बस स्टेण्ड, राज्यावास जिला राजसमंद ।
2. श्री मगनीराम शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा जाति शर्मा मैसर्स बी०एन० बेकरी एण्ड डेयरी, लावा सरदारगढ़ तह. आमेट जिला राजसमंद निवासी सनादय मौहल्ला, बस स्टेण्ड, राज्यावास जिला राजसमंद ।

— विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

० निर्णय ०

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 8.12.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री मगनीराम शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति शर्मा मैसर्स बी०एन० बेकरी एण्ड डेयरी, लावा सरदारगढ़ तह. आमेट जिला राजसमंद निवासी सनादय मौहल्ला, बस स्टेण्ड, राज्यावास जिला राजसमंद जो की दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित पदार्थ बेचने का कार्य करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स बी०एन० बेकरी एण्ड डेयरी, लावा सरदारगढ़ तह. आमेट जिला राजसमंद पर दिनांक 17.08.2021 को समय 01.10 पी०एम० पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त दुकान में पाशयूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड करीब 20 लीटर 500 एमएल डी फ्रिज में आम जनता के लिए विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ पाशयूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड मे से 02 लीटर पाशयूराईज्ड

दूध (गोल्ड) पैकड वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 112/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ पाशयूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा पाशयूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई -1233 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2021/3605 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/237/एक्ट/2021/226 दिनांक 19.08.2021 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ पाशयूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 09.03.2022 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।


कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया। विपक्षी की बहस को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त पाश्रूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड में किसी भी प्रकार की गिलावट नहीं कि जाती है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का पाश्रूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड सबस्टैण्डर्ड, होना पाया गया। अतः अभियुक्तों ने सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ पाश्रूराईज्ड दूध (गोल्ड) पैकड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री गगनीराम शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति शर्मा मैसर्स बी0एन0 बेकरी एण्ड डेयरी, लावा सरदारगढ़ तह. आमेट जिला राजसमंद निवासी सनादय मौहल्ला, बस स्टेण्ड, राज्यावास जिला राजसमंद एवं श्री मगनीराम शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा जाति शर्मा मैसर्स बी0एन0 बेकरी एण्ड डेयरी, लावा सरदारगढ़ तह. आमेट जिला राजसमंद निवासी सनादय मौहल्ला, बस स्टेण्ड, राज्यावास जिला राजसमंद पर कुल राशि 11,000/- रूपये (अक्षरे रूपया ग्यारह हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की गिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द